

16  
17  
18

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पतेन सहायक कलक्टर ..... 335

(पंचायत लोक अदालत/केस कोर्ट) कैम्प ..... 335

आदेश :-

कर्मों के "खाल सूची" प्रारंभ पर एवं पत्रकारी विभाग व भू.अ.वि. के माध्यम से

की प्रतियाँ तथा तहसीलदार को अनुसूची के आधार

पर राजस्थान प. उ. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम 2074, 2075/2076 में

जिनकी जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में खाल संख्या में वर्तमान में

उन प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरौमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाल संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	दोरवाल	106	① जीता पत्नी नामा ② राजेश कुंज नामा	जीता पत्नी नामा राजेश कुंज नामा
2.	बिंजूर	108	राजेश कुंज नामा	राजेश कुंज नामा

प्रभारी अधीक्षक अधिकारी  
पंचायत लोक अदालत  
(उपखण्ड अधिकारी एवं  
पतेन सहायक कलक्टर)

दिनांक :- 7/6/22

क्रमांक :- 106

प्रतीति :-  
1. तहसीलदार को भेजकर निम्न है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर

पालन रिपोर्ट भिजवावें।

2. प्रार्थी को सूचनाएं।

3. टीका प्रभावली।

प्रभारी अधीक्षक अधिकारी  
पंचायत लोक अदालत  
(केस कोर्ट अदालत में)

उपखण्ड अधिकारी एवं पतेन सहायक कलक्टर